प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

१ भारत सरकार द्वारा चलाई गई यह महत्वाकांक्षी योजना १ जून २०१५ से प्रारम्भ हुई है| इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की दशा में २ लाख रु. और शारीरिक क्षति की स्थिति में अधिकतम २ लाख रु. तक मुआवजा बीमाधारक को मिलेगा| इसके लिए आवेदक को हर वर्ष मात्र १२ रु. प्रीमियम का भुगतान करना होगा योजना की अवधि १ जून से ३१ मई रहेगी यह राशि प्रतिवर्ष मई माह में काट ली जाएगी|

२ किन व्यक्तियों के लिए

- आयु सीमा – १८ वर्ष से ७० वर्ष

३ आवश्यक दस्तावेज

- बैंक खाता : किसी भी बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है और यह खाता आधार कार्ड से जुडा हो| यदि नहीं जुडा है तो आधार कार्ड की कॉपी देकर इसे जुडवाया जा सकता है|
- खाताधारक के खाते से स्वतः १२ रूपए काट लिए जाएंगे|
- योजना की अवधि १ वर्ष की है, जिसका बीमाधारक को प्रति वर्ष नवीनीकरण करना होगा|

४ विशेषताएँ

- यह दुर्घटना बीमा योजना केवल १२ रु. के प्रीमियम पर हर वर्ष चालू रखी जा सकती है|

५ बीमाधारक को लाभ

- दुर्घटना में मृत्यु होने पर २ लाख रु. की बीमा राशि बीमाधारकों के परिजनों को दी जाएगी|
- दोनों आँखों की हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आँख की और हाथ या पैर के उपयोग योग्य नहीं होने पर भी बीमाधारक को २ लाख रु. की राशि मिलेगी|
- एक आँख को पूर्णतः क्षति या एक हाथ या एक पैर के उपयोग योग्य नहीं होने पर बीमाधारक को १ लाख रु. मिलेंगे|

६ बीमा निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा

- अगर बीमा धारक की आयु ७० वर्ष हो गई हो|
- अगर बीमा धारक के बैंक खाते में देय तिथि पर प्रीमियम की राशि (१२ रु.) न हो|
- यदि कोई व्यक्ति जाने-अनजाने में एक से ज्यादा पॉलिसी ले लेता है तो भी वह इस योजना के अंतर्गत एक पॉलिसी पर ही claim ले सकेगा और इसके द्वारा अन्य पॉलिसियों पर दी गई प्रीमियम जब्त हो जाएगी| यानी ऐसी दशा में उसका बीमा दावा २ लाख रु. तक सीमित रहेगा|

७ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ : -

- **यदि कोई व्यक्ति योजना छोड़ देता है, तो भविष्य में फिर से जुड़ सकता है?**
  - किसी भी समय पर योजना छोड़कर जाने वाला व्यक्ति भविष्य में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर योजना में फिर से जुड़ सकता है|

- **क्या यह-दावे की राशि किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत जिसमें सदस्य कवर है, के अतिरिक्त होगी?**
  - जी हाँ|

Disclaimer:

यह जानकारी www.deepawali.co.in तथा अन्य स्रोतों से समेकित की गई है| इसका उद्देश्य सामान्य जन को इस योजना की जानकारी प्रदान करना है| किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास के लिए गोयल चैरिटीज एसोसिएशन उत्तरदायी नहीं है|